

RBE No. 45/2014

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

No. E(D&A) 2009 RG6-46

New Delhi, 9/05/2014

The General Manager(P)
All Indian Railways and
Production Units etc.
(As per standard list).

Sub: Selection Grade in Group 'A' Services - Application of Sealed
Cover procedure in grant of Non-functional Selection Grade.

Railway Board's letter no. E(D&A) 88 RG6-2 dated 05.02.1993 refers to application of sealed cover procedure at the time of considering grant of Non-Functional Selection Grade to Group 'A' officers. However, this letter does not indicate the circumstances in which the sealed cover procedure is to be adopted. NFSG is a segment of Junior Administrative Grade and appointment to NFSG is, therefore, not a case of promotion, but merely a placement in a higher pay-scale. Consequently the provisions relating to adoption of sealed cover procedure by the DPC while considering cases of regular promotion as prescribed in Railway Board's letter no. E(D&A) 92 RG6-149(B) dated 21.01.1993 are not directly applicable in such cases.

2. It is clarified that the Internal Selection Committee while considering the issue of grant of NFSG, shall also place the recommendation for grant of NFSG in a sealed cover, if the officer(s) concerned are covered by any of the following three situations as on the 1st January of the relevant calendar year in which the case of the concerned officers matures for grant of NFSG, unless such meeting is held in advance of the relevant year in which case the date of the meeting of the Internal Selection Committee will be relevant:

- a) Where the officer is under suspension;
- b) Where a charge sheet has been issued and the departmental proceedings for disciplinary action are pending; and
- c) Where prosecution for a criminal charge is pending in a court of law.

3. The same procedure will be followed by the subsequent Internal Selection Committees convened till the disciplinary case/criminal prosecution against the Officer concerned is concluded. On conclusion of the disciplinary case/criminal prosecution, if it results in dropping of the case against the Officer, the sealed cover (or covers) shall be opened. In case, the officer is recommended for placement in NFSG, the same shall be allowed from the relevant year in which he has been recommended for grant of NFSG by the Internal Selection Committee. He shall also be entitled to arrears of pay and allowances for such period.


File
Gand

4. If however, the disciplinary proceedings against the Railway servant results in the imposition of any of the minor penalties of Censure, Stoppage of Passes/PTOs, recovery from pay, reduction to a lower stage in the time scale of pay and withholding of increments, the officer may also be allowed placement in NFSG prospectively with reference to the recommendations of the Internal Selection Committee. In the case of those imposed with minor penalty of reduction to a lower stage in time scale of pay or withholding of increment they cannot, however, be granted NFSG before the expiry of the penalty. However, where the penalty of withholding of increment is to become operative from a future date, the person concerned should be granted NFSG in his turn prospectively with reference to the recommendations of the Internal Selection Committee and the penalty imposed in the NFSG. The pay in such cases should be fixed under the normal rules with reference to the date of actual placement in NFSG.

5. If, however, the disciplinary proceedings/criminal case against the Railway servant ends in a punishment/penalty other than those specified in para 4 above, the findings of the Internal Selection Committee in the sealed cover/covers shall not be acted upon. The officer's case for grant of NFSG may be considered by the next Internal Selection Committee held in the normal course subsequent to the date on which the pending case was decided against him, having regard to the penalty imposed on him.

6. It is also clarified that as NFSG is a mere placement in a higher scale and non-functional in character, there is no functional requirement of another officer being allowed NFSG in place of the officer whose case is placed in the sealed cover by the Internal Selection Committee. Also there is no requirement of allowing NFSG on ad-hoc basis to the officer whose case is delayed as his monetary interests are fully protected by the decision that in the event of his exoneration in the pending disciplinary/criminal case, he will be entitled to appointment in NFSG from the relevant year in which he has been recommended for grant of NFSG by the Internal Selection Committee, with arrears of pay and allowances.

7. Please acknowledge receipt.



(S. Modi)
Dy. Director Estt. (D&A)
Railway Board

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

सं. ई(डी एण्ड ए)2009 आरजी6-46

नई दिल्ली, 9/05/2014

महाप्रबंधक (पी)
सभी भारतीय रेलें और
उत्पादन इकाइयां आदि
(मानक सूची के अनुसार)

विषय : समूह 'क' सेवाओं में प्रवरण ग्रेड - गैर-कार्यात्मक प्रवरण ग्रेड प्रदान करने के लिए मुहरबन्द कवर प्रक्रिया का अनुप्रयोग।

रेलवे बोर्ड के दिनांक 05.02.1993 के पत्र सं. ई(डी एण्ड ए) 88 आरजी6-2 में समूह 'क' के अधिकारियों को गैर-कार्यात्मक प्रवरण ग्रेड प्रदान करने पर विचार करते समय मुहरबन्द कवर प्रक्रिया का अनुप्रयोग करने का उल्लेख है। बहरहाल, इस पत्र में उन परिस्थितियों का उल्लेख नहीं किया गया है जिनमें मुहरबन्द कवर प्रक्रिया अपनाई जानी है। गैर-कार्यात्मक प्रवरण ग्रेड कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड का एक भाग है और इसलिए गैर-कार्यात्मक प्रवरण ग्रेड में नियुक्ति पदोन्नति का मामला नहीं है बल्कि केवल एक उच्चतर वेतनमान में रखना है। परिणामस्वरूप, रेलवे बोर्ड के दिनांक 21.01.1993 के पत्र सं. ई(डी एण्ड ए) 92 आरजी6-149(ख) में उल्लिखित प्रावधान जो नियमित पदोन्नति के मामले पर विचार करते समय विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा मुहरबन्द कवर प्रक्रिया अपनाए जाने से संबंधित है, ऐसे मामलों में प्रत्यक्ष रूप से लागू नहीं होते हैं।

2. यह स्पष्ट किया जाता है कि गैर-कार्यात्मक प्रवरण ग्रेड प्रदान करने का विचार करते समय आंतरिक चयन समिति उक्त अधिकारियों के संबंध में गैर-कार्यात्मक प्रवरण ग्रेड प्रदान करने की अपनी सिफारिश मुहरबंद लिफाफे में रखेगी जो कि सम्बद्ध वर्ष की एक जनवरी को निम्नलिखित में से किसी स्थिति के अंतर्गत आते हैं, सिवाय उस परिस्थिति के जब कि आंतरिक चयन समिति की बैठक सम्बद्ध वर्ष से पूर्व में होती है और इस स्थिति में आंतरिक चयन समिति की बैठक की तारीख संगत होगी:

- क) यदि अधिकारी निलंबित हो;
- ख) यदि आरोप-पत्र जारी कर दिया गया हो और अनुशासनिक कार्रवाई के लिए विभागीय कार्यवाही लंबित हो; और
- ग) यदि किसी न्यायालय में किसी आपराधिक अभियोग के लिए अभियोजन लंबित हो।

3. जब तक संबंधित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक मामले/आपराधिक अभियोग का निर्णय नहीं हो जाता है तब तक उसके बाद आयोजित आंतरिक चयन समिति द्वारा उसी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। अनुशासनिक मामले/आपराधिक अभियोग का निर्णय होने पर यदि उस अधिकारी के विरुद्ध मामला समाप्त हो जाता है तो मुहरबन्द लिफाफा (या लिफाफे) खोला जाएगा। यदि अधिकारी की गैर-कार्यात्मक प्रवरण ग्रेड में नियोजन के लिए सिफारिश की गई हो तो उसे संगत वर्ष में नियोजन के लिए अनुमति दी जाती है, जिसमें

आंतरिक चयन समिति द्वारा गैर-कार्यात्मक प्रवरण ग्रेड प्रदान किए जाने की सिफारिश की गई है। वह उस अवधि के वेतन एवं भत्तों के बकायों का भी हकदार होगा।

4. बहरहाल, यदि रेल सेवक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के परिणामस्वरूप परिनिंदा, पास/पीटीओ रोकने, वेतन से वसूली करने, समय वेतनमान में एक प्रास्थित की कटौती करके एक प्रास्थित की अवनति और वेतनवृद्धि रोकने जैसी कोई छोटी शास्ति लगाई जाती है तो आंतरिक चयन समिति की सिफारिशों के संबंध में भावी तारीख से अधिकारी की गैर-कार्यात्मक प्रवरण ग्रेड में नियोजन करने की अनुमति दी जा सकती है। बहरहाल, उन अधिकारियों के मामले में जिन पर समय वेतनमान में एक प्रास्थित की कटौती करके एक प्रास्थित की अवनति या वेतनवृद्धि रोकने जैसी छोटी शास्ति लगाई गई हो, उन्हें शास्ति समाप्त होने से पूर्व गैर-कार्यात्मक प्रवरण ग्रेड प्रदान नहीं किया जा सकता है। बहरहाल जहाँ वेतनवृद्धि रोकने की शास्ति भविष्य में प्रभावी होने वाली हो तो संबंधित व्यक्ति को अपने क्रम से आंतरिक चयन समिति की सिफारिशों के मद्देनज़र, गैर कार्यात्मक प्रवरण ग्रेड प्रदान किया जाए और शास्ति, गैर कार्यात्मक प्रवरण ग्रेड में लगायी जाए। ऐसे मामलों में वेतन का निर्धारण गैर-कार्यात्मक प्रवरण ग्रेड में वास्तविक नियोजन की तारीख के संबंध में सामान्य नियमों के अंतर्गत किया जाए।

5. बहरहाल, यदि रेल सेवक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही/आपराधिक मामला उपर्युक्त पैरा 4 में दिए गए विनिर्देशों के अलावा शास्ति देकर समाप्त किया जाता है तो मुहरबन्द लिफाफा/लिफाफे में आंतरिक चयन समिति के निष्कर्ष पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। गैर-कार्यात्मक प्रवरण ग्रेड प्रदान करने के उस अधिकारी के मामले में उस अधिकारी पर लगाई गई शास्ति को ध्यान में रखते हुए उस तारीख के बाद सामान्य प्रक्रिया के रूप में आयोजित अगली आंतरिक चयन समिति द्वारा विचार किया जाए जिस तारीख को उसके विरुद्ध लंबित मामले का निर्णय हुआ था।

6. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि चूंकि गैर-कार्यात्मक प्रवरण ग्रेड केवल उच्च वेतनमान में नियोजन और गैर-कार्यात्मक प्रकृति का है, अतः उस अधिकारी जिसके मामले को आंतरिक चयन समिति द्वारा मुहरबन्द लिफाफे में रखा गया है, के बदले दूसरे अधिकारी को गैर-कार्यात्मक प्रवरण ग्रेड की अनुमति दिए जाने की कोई कार्यात्मक आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, उस अधिकारी जिसके मामले में विलम्ब हुआ हो, को तदर्थ आधार पर गैर-कार्यात्मक प्रवरण ग्रेड की अनुमति देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस निर्णय द्वारा उसके मौद्रिक हित को पूरी तरह सुरक्षित रखा गया है कि लंबित अनुशासनिक/आपराधिक मामले में उनकी दोषमुक्ति होने पर उनके लिए आंतरिक चयन समिति द्वारा जिस संगत वर्ष से गैर-कार्यात्मक प्रवरण ग्रेड प्रदान करने की सिफारिश की गई हो, उस वर्ष से वेतन एवं भत्तों के बकाया के साथ नियुक्ति का हकदार होगा।

7. कृपया पावती दें।

24/11/2017 मोदी

(एस. मोदी)

उप निदेशक स्था. (अनुशासन एवं अपील)

रेलवे बोर्ड